

### आदेश

दिनांक-21.02.2023 को बिहार पुलिस केन्द्रीय प्रशासी समिति की बैठक के वृत्त की कंडिका-7(ड०) में कर्तव्य के दौरान उग्रवादी/संगठित अपराधी गिरोहों से मुठभेड में घायल पुलिसकर्मियों के गम्भीरता को दृष्टिगत देखते हुए तत्काल समुचित चिकित्सीय ईलाज हेतु सेवानिवृति को मददेनजर रखते हुये नियमानुसार 2,00,000/- रूपये तक की अनुदान राशि देने और इसकी वसूली संबंधित पुलिसकर्मी से 20 किस्तों में करने का निर्णय लिया गया। चिकित्सीय ईलाज के दौरान दुर्भाग्यवश संबंधित कर्मी की मृत्यु होने पर उक्त अनुदान राशि को माफ करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। राशि की वसूली करना, प्रस्ताव समर्पित करने वाले जिला/इकाई के प्रधान तथा एसोसियेशन की जिम्मेवारी होगी।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)  
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या वित्त-2/IV-01-02-2023/.....275.....

बिहार पुलिस मुख्यालय  
(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

पटना, दिनांक 24.02.2023

### प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रेलवे सहित, बिहार/सभी समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक(वित्तंतु)/ पुलिस अधीक्षक (अ०)/विशेष शाखा/(सी०)/अपराध अनुसंधान विभाग/मंत्रिमंडल निगरानी/ आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. महामंत्री, बिहार, पुलिस एसोसिएशन बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महामंत्री/संगठन महामंत्री, बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अध्यक्ष/ महामंत्री, बिहार पुलिस अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त-2 प्रशाखा, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई०टी० मैनेजर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)  
बिहार, पटना।